



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 37()पंरावि/प्रशा.2/मंत्रा/स्थाना.-प्रथम/2018/3458 जयपुर दिनांक: 30.7.18

संशोधन आदेश

विभागीय संशोधित आदेश क्रमांक 3404 दिनांक 26.07.2018 के द्वारा श्री मोहन लाल मील को ग्रा0प0 आवा पंचायत समिति देवली जिला टोंक से ग्रा0प0 बडोली पंचायत समिति देवली जिला टोंक में स्थानान्तरण/पदस्थापन संशोधन किया गया है।

उक्त संशोधन आदेश में ग्रा0प0 बडोली पंचायत समिति देवली जिला टोंक के स्थान पर ग्रा0प0 खवासपुरा पंचायत समिति देवली जिला टोंक को संशोधित कर पढा जावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राजेन्द्र शोखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त
एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा0वि0पं0राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित है।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद टोंक।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति देवली (टोंक)।
6. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त
एवं संयुक्त शासन सचिव